

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़(राज.)

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2023/५३।

दिनांक:—०७.०५.२०२३

—: प्रेस विज्ञप्ति :—

प्रतापगढ़ जिले के उपखण्ड प्रतापगढ़, अरनोद, छोटीसादड़ी एवं पीपलखूट में नवसृजित/रिक्त निम्नलिखित उचित मूल्य दुकानों पर नवीन उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं। प्रतापगढ़ उपखण्ड के नगर परिषद क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान पुराना वार्ड न. 4 नवीन वार्ड न. 8 व 9 वितरण क्षेत्र— इंदिरा कॉलोनी एवं तालाब खेड़ा (अनु. जन. जाति), पुराना वार्ड 17 नवीन वार्ड न. 23 व 25 वितरण क्षेत्र— बावड़ी मोहल्ला, कामलियों की गली, धोबी चौक एवं सदर बाजार से पिपली गली तक (सामान्य), पुराना वार्ड न. 2 नवीन वार्ड न. 4 व 5 वितरण क्षेत्र— देवगढ़ दरवाजा एवं हाउसिंग बोर्ड (सामान्य)।

उपखण्ड छोटीसादड़ी, मे ग्राम पंचायत करजूं (अनु.जन.जाति महिला), पीलीखेड़ा (अनु. जन. जाति), पीथलवड़ी (सामान्य), जलोदा जागीर (सामान्य महिला), मानपुरा जागीर (अनु. जन. जाति), जलोदिया केलुखेड़ा (सामान्य महिला)।

उपखण्ड अरनोद में ग्राम पंचायत भाटभमरिया (सामान्य), एवं उपखण्ड पीपलखूट में ग्राम पंचायत मोटीखेड़ी (अनू.जन.जाति)।

आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी हो, शोक्षणिक योग्यता स्नातक है र्स्नातक आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीनियर (Senior) पास को स्वीकार किया जा सकता है, कम्प्यूटर में Rajasthan knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं 1 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं। तीन संतान होने पर आवेदक अपात्र होगा। चयन में ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्पस, महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतों को प्रथम वरियता दी जावेगी।

आवेदन पत्र 100 रुपये शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं दिनांक 29.05.2023 तक निर्धारित प्रारूप में जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में जमा करवाए जा सकते हैं।

पात्रता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में तथा खाद्य विभाग की वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं।

(बनवारीलाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2023/५३२

दिनांक:—०७.०५.२०२३

प्रतिलिपि :—

- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़ को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

(लाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

आवेदन की योग्यताएँ एवं शर्तें

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छायां चित्र लगा होगा तथा एक छायां चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रु निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी अथवा पोस्टल ॲर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदन उसी पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाणु पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/ मूल निवास/ निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी क्षेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदकों की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उपर के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
3. शैक्षणिक योग्यता स्नातक है स्नातक आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीनियर (Senior) पास को स्वीकार किया जा सकता है, कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का अधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदन यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदन समितियां/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10/- रु के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होना चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रुट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सङ्क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किरायें की होने पर अनुंबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पटटे की प्रति स्वप्रमाणित

कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर रिथत हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदन को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भापदण्ड पूर्ण करने होंगे, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर रिथत होकर न्यून्तम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यून्तम 10 फिट गुणा 10 फिट को होना आवश्यक है।

8. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यून्तम 100000/- का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छ: माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
10. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में पूर्व से कार्यरत उचित मूल्य दुकान पर 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट की सुनियितता करने के पश्चात् ही नवीन उचित मूल्य दुकान को यूनिट आवंटित की जावेगी।
11. चयन के प्राथमिकता क्रूम :

प्रथम वरियता : (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है (ii) निगमित निकाय।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संरक्षा का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदन सहकारी समितियां हैं जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संरक्षा का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत : (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त (2) महिलाएँ (i) शहीद की विधवा (विरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक (4) बैरोजगार

- निःशक्त जान को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण का प्रमाण पत्र, विरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र बैरोजगार को एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

12. द्वितीय वरियता के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

13. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्नकर प्रस्तुत करने हैं।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट Food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।


(बनवारीलाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

दिनांक:— 09.05.2023

क्रमांक/रसद/एफपीएस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/५३३-३४
प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., चतुर्थ मंजिल, खाद्य भवन शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट Food.raj.nic.in वा अपलोड करवाने बाबत्।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत्।
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़।
6. उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़।


जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

छोटीसादड़ी तहसील जिला प्रतापगढ़ मे रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों पर
नवीन दुकानदारों की नियुक्ति करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.05. 2023

क्र. सं.	नवीन उचित मूल्य दुकान का नाम	ग्राम पंचायत	विज्ञप्ति जारी करने का कारण	तहसील	आरक्षण की स्थिति
1	श्री धनश्याम जणवा कोड संख्या 15455 के स्थान पर	करजूं	प्राधिकारपत्र निरस्त	छोटीसादड़ी	अनु.जन.जाति महिला
2	श्री कन्हैयादास वैष्णव कोड संख्या 30505 के स्थानपर	पीलीखेड़ा	प्राधिकारपत्र निरस्त	छोटीसादड़ी	अनु. जन. जाति
3	पीथलवड़ी जी.एस.एस. कोड संख्या 15428 के स्थान पर	पीथलवड़ी	प्राधिकारपत्र निरस्त	छोटीसादड़ी	सामान्य
4	जी.एस.एस.जलोदा जागीर कोड संख्या 15452 के स्थान पर	जलोदा जागीर	प्राधिकारपत्र निरस्त	छोटीसादड़ी	सामान्य महिला
5	श्रीमती चारूलता देवी व्यास कोड संख्या 15467 के स्थान पर	मानपुरा जागीर	प्राधिकारपत्र निरस्त	छोटीसादड़ी	अनु. जन. जाति
6	श्रीमती सुशीला देवी कोड संख्या 15453 के स्थान पर	जलोदिया केलुखेड़ा	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा त्यागपत्र दिया गया।	छोटीसादड़ी	सामान्य महिला

जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

**प्रतापगढ़ तहसील जिला प्रतापगढ़ मे रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों पर नवीन
दुकानदारों की नियुक्ति करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति**

दिनांक 09.05. 2023

क्र. सं.	नवीन उचित मूल्य दुकान का नाम	ग्राम पंचायत	विज्ञप्ति जारी करने का कारण	तहसील	वितरण का नया क्षेत्र	आरक्षण की स्थिति
1	नेमीचन्द गौधी पुराना वार्ड न. 4 (17946) के स्थान पर नवीन वार्ड 8 व 9 वितरण क्षेत्र – इंदिरा कॉलोनी तालाब खेड़ा	नगरपरिषद प्रतापगढ़	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा त्यागपत्र दिया गया	प्रतापगढ़	वार्ड न. 8 व 9 इंदिरा कॉलोनी तालाब खेड़ा	अनु. जन. जाति
2	शंकुतला सोमानी पुराना वार्ड न.17 के स्थान पर नवीन वार्ड 23 व 25 वितरणक्षेत्र – बावडी मोहल्ला कामलियों की गली धोबी चौक, सदर बाजार से पिपली गली तक	नगरपरिषद प्रतापगढ़	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा त्यागपत्र दिया गया	प्रतापगढ़	वार्ड न. 23 व 25 बावडी मोहल्ला कामलियों की गली धोबी चौक, सदर बाजार से पिपली गली तक	सामान्य
3	श्री हरिश मेघवाल पुराना वार्ड न. 2 के स्थान पर नवीन वार्ड 4 व 5 वितरण क्षेत्र – देवगढ़ दरवाजा हाउसिंग बोर्ड	नगरपरिषद प्रतापगढ़	उचित मूल्य दुकानदार द्वारा त्यागपत्र दिया गया	प्रतापगढ़	वार्ड न. 4 व 5 देवगढ़ दरवाजा हाउसिंग बोर्ड	सामान्य


जिला एसद अधिकारी
प्रतापगढ़

अरनोद एवं पीपलखूंट तहसील जिला प्रतापगढ़ मे रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों पर नवीन दुकानदारों की नियुक्ति करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.05. 2023

क्र. स.	नवीन उचित मूल्य दुकान का नाम	ग्राम पंचायत	विज्ञप्ति जारी करने का कारण	तहसील	आरक्षण की स्थिति
1	नवसर्जित	भाटभमरिया	नवसर्जित	अरनोद	सामान्य
2	मंगलाराम कोड़ संख्या 15213 के स्थान पर	मोटीखेड़ी	प्राधिकारपत्र निरस्त	पीपलखूंट	अनु. जन. जाति

जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़